सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **738** राँची, गुरुवार

20 अग्रहायण, 1936 (श०)

11 दिसम्बर, 2014 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

8 अक्टूबर, 2014

संख्या-एल0 जी0-06/2014-51—लेज०, झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 24 सितंबर, 2014 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार (संशोधन) अधिनियम-2014

(झारखंड अधिनियम संख्या-07, 2014)

पंचायत उपबंध (अनूसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के प्रावधान के अनुरूप झारखण्ड राज्य के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में प्रभावी करने के लिए झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित 2007 एवं 2011) के संशोधन हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम**,** विस्तार और प्रारम्भ**-**

(i) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित, 2007 एवं 2011) संशोधित 2014 कही जा सकेगी।

(ii) इस अधिनियम के अध्याय-7 की धारा-57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एवं 64 के प्रावधान झारखण्ड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावी होगा।

(iii) यह तुरन्त प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा-2, उपधारा- ज्ञ(V) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित किया जाता है:-

ज्ञ(VI) **अनुसूचित क्षेत्र** :- अनुसूचित क्षेत्र से अभिप्रेत है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद-244 धारा-1 के द्वारा राज्य के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र।

ज्ञ(VII) **ग्राम सभा** :- ग्राम सभा से अभिप्रेत है, झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001, अध्याय-2 के धारा-3 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए परिभाषित ग्राम सभा।

ज्ञ(VII) **ग्राम प्रधान** :- ग्राम प्रधान से अभिप्रेत है कि रितीरिवाज, परम्परा, रूढ़ी के द्वारा मान्य पद जो उस ग्राम के लोगों को स्वीकार हो अथवा सरकारी स्तर के सक्षम प्राधिकार के द्वारा नामित/मनोनीत अथवा नियुक्त व्यक्ति।

ज्ञ(IX) **ग्राम सभा का सीमा** :- ग्राम सभा के सीमा से अभिप्रेत है कि वह क्षेत्र जिसमें वह ग्राम, जिसमें टोले भी सम्मिलित हों एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा चिन्हित हो।

ज्ञ(X) **ग्राम सभा के सदस्य** :- ग्राम सभा के सदस्य से अभिप्रेत है कि उस ग्राम, क्षेत्र में अधिवास करने वाले सभी सदस्य। जिनका नाम वहां के निर्वाचन सूची में हो।

ज्ञ(XI) **ग्रामीण हाट/बाजार** :- ग्रामीण हाट/बाजार से अभिप्रेत है कि स्थानीय ग्राम स्तर पर कृषि संबंधी उपज का क्रय एवं विक्रय स्थल।

3. झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित 2007 एवं 2011) को पंचायत-उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA Act, 1996) के धारा-4 (एम0) को प्रवृत करने के उद्देश्य से अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को ग्रामीण हाट/बाजार का प्रबंधन/नियंत्रण करने की शक्ति प्रत्यायोजित करने हेतु धारा-56 के बाद अध्याय-7 में धारा-57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एवं 64 निम्न रूप से अंत:स्थापित किया जाय :-

अध्याय-**7**

अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को ग्रामीण हाट/बाजार का प्रबंधन/नियंत्रण की शक्ति

4. धारा-**57-** (I) **ग्राम सभा** क्षेत्र के अन्तर्गत लगने वाले हाट/बाजार की पर्यवेक्षण/अनुश्रवण हेतु ग्राम सभा क्षेत्र के हीं सदस्यों को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगा जो आपसी सहमति से उक्त हाट/बाजार का व्यवस्था की रूप रेखा तय करेंगे।

(II) **ग्राम सभा** उक्त हाट/बाजार पर पेयजल/शेड (छपरा)/शौचालय तथा क्रेता एवं विक्रेताओं के लिए विनिमय करने हेतु स्थान आदि का व्यवस्था करेगी। ऐसा करने में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(III) **ग्राम सभा** उक्त हाट/बजार में क्रय एवं विक्रय किए जाने वाले सामग्रियों पर कृषि बाजार उपज अधिनियम के अनुसार और कृषि विपणन पर्षद द्वारा निर्धारित दर एवं माप दण्ड पर शुल्क की वसूली कर सकेगा।

(IV) **ग्राम सभा** उक्त ग्रामीण हाट/बाजार में कृषि उपज से संबंधित वस्तुओं का आवश्यकता पड़ने/राशि उपलब्ध होने एवं भूमि उपलब्ध होने पर उसका भण्डारण, कोल्ड स्टोरेज एवं परिवहन की व्यवस्था भी यथा निर्धारित एवं निर्देशित प्रावधान के तहत करेगी।

(V) **ग्राम सभा** उक्त हाट/बाजार के अंतर्गत क्रय एवं विक्रय के दौरान माप एवं तौल में माप तौल अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर सकेगा।

(VI) **ग्राम सभा** उक्त हाट/बाजार के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का मिलावटी या जो सामग्री लोकहित के लिए हानिकारक हो उसकी क्रय एवं विक्रय को रोक सकेगा।

(VII) **ग्राम सभा** अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले हाट/बाजार के अंतर्गत कृषि उपज की गुणवता एवं मानकता निर्धारित कर सकेगा और इसके लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो इस कार्य के लिए तकनीकी पदाधिकारियों का मांग विपणन पर्षद से कर सकेगा।

(VIII) **ग्राम सभा** हाट/बाजार के अंतर्गत जैसे जुआ या वैसा कोई खेल जो समाज विरोधी हो, प्रलोभन, नशा, नशीले पदार्थ की बिक्री, किसी भी प्रकार के अश्लील कृत्य, झगड़ा आदि पर पाबंदी लगा सकेगा।

(IX) **ग्राम सभा** उक्त हाट/बाजार में क्रय एवं विक्रय करने वाले व्यापारियों, कमीशन एजेंन्टों, दलालों, तौलकों, माल गोदाम मालिकों, कृषि उपज के विद्यायन (प्रोसेसिंग) और पीड़न (प्रेसिंग) कार्य में लगे अन्य व्यक्तियों एवं फर्मों को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु अथवा अनुज्ञप्ति के नवीकरण करने हेतु नजदीकी बाजार समिति को अनुशंसा कर सकेगा।

संबंधित बाजार समिति ग्राम सभा के अनुशंसा प्राप्त कर सुसंगत नियम/प्रावधानों के तहत विचार कर अनुज्ञप्ति निर्गत एवं नवीकृत करेगा।

(X) **स्थानीय एवं प्रचलित** रीति/रूढ़ी, जिसके अनुसार हाट/बाजार में कृषि उपज नीलाम किए जाऐंगे तथा डाक बोले एवं स्वीकार किया जा सकेगा।

(XI) **ग्राम सभा** अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत हाट/बाजार में उत्पाद के अनुरूप क्रय एवं विक्रय के लिए अलग-अलग स्थल कर्णांकित/चिन्हित करा सकेगा, जिससे आम क्रेता एवं विक्रेताओं को सहुलियत हो सके।

(XII) **ग्राम सभा** अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत हाट/बाजारें के कृषि उत्पादों का क्रय एवं विक्रय के लिए न्यूनतम मूल्य जिसपर क्रेता एवं विक्रेताओं में सहमति हो निर्धारित कर सकेगा।

(XIII) **ग्राम सभा** अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत हाट/बाजार में ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि उपज एवं अन्य उत्पाद का क्रय एवं विक्रय पर नजर रख सकेगा। ग्राम सभा का यह भी दायित्व होगा कि ग्रामीण हाट/बाजार में ग्रामीणों की क्रय या विक्रय मूल्य में किसी प्रकार का शोषण ना हो।

(XIV) **ग्राम सभा** का यह दायित्व होगा कि किसी भी तरह की अवैध जमाखोरी, सूदखोरी, कम दाम पर दबाव देकर सामग्रियों का क्रय अथवा विक्रय करने वाले पर रोक लगा सकेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर विधिसम्मत कार्रवाई करने के लिए स्थानीय थाना से सहयोग प्राप्त कर सकेगी।

5. **धारा**-58 **मार्केट यार्ड की घोषणा** :-

(I) झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000 (यथासंशोधित 2007 एवं 2011) के धारा-5 (3) (क) (III) एवं (IV) के प्रावधान के तहत ग्राम सभा सरकार को अनुशंसा कर सकेगा।

6. **धारा**-59 **हाट/बाजार कमिटि का गठन** :- अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा क्षेत्र के अधीन हाट/बाजार के संचालन/व्यवस्था के लिए एक समिति का गठन कर सकेगी जिसके सदस्य ग्राम सभा के द्वारा अनुशंसित होगा तथा संबंधित क्षेत्र के अनुमंडलाधिकारी के द्वारा लिखित आदेश से होगा।

परन्तु, किसी ग्राम सभा के अंतर्गत हाट/बाजार के संचालन/व्यवस्था करने के लिए ग्राम सभा द्वारा उसी क्षेत्र में अधिवास करने वाले व्यक्तियों की कमिटि का गठन किया जाएगा।

7. **धारा**-60 **मार्केट समिति का स्वरूप**- किसी भी ग्राम सभा के अधीन हाट/बाजार के संचालन/व्यवस्था के लिए कमिटि गठित होगी जिसमें ग्राम प्रधान (अध्यक्ष) सहित अधिकतम 09 सदस्य होंगे, जिसमें न्यूनतम 03 सदस्य महिला होंगे। यदि ग्राम सभा चाहे तो उक्त समिति में ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कार्यरत स्वयं सहायता समूह/महिला समूह को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

परन्तु, किसी एक परिवार से एक से अधिक सदस्य, कमिटि के सदस्य नहीं होंगे तथा उस ग्राम सभा के अंतर्गत सभी टोलों का प्रतिनिधित्व सामान रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

8. **धारा**-61 **लेखा** :-

(I) **ग्राम सभा** में प्रत्येक हाट/बाजार में लेखाबही का संधारण किया जाएगा जो प्रत्येक हाट के दिन के अनुसार संधारित होगा। जिसमें हाट/बाजार से शुल्क के रूप में

वसूली की गई राशि का लेखा जोखा संधारित किया जाएगा। शुल्क के रूप में प्राप्त एवं अन्य राशि को उसी दिन अथवा दूसरे दिन प्रथम पहर तक ग्राम सभा के नाम से खुले बैंक खाता में जमा कर दी जाएगी।

(II) **ग्राम सभा** प्रत्येक हाट/बाजार के आय व्यय का अंकेक्षण किसी पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराएगा तथा आय-व्यय के अंतिम वार्षिक लेखा को नये वर्ष के ग्राम सभा की अगली बैठक में प्रस्तुत करेगा।

(III) **ग्राम सभा** हाट/बाजार में शुल्क की वसूली के लिए एजेन्ट तथा कर्मी की नियुक्ति संबंधित हाट/बाजार की संचालन/व्यवस्था हेतु गठित समिति के माध्यम से नियुक्त होगा तथा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एवं मानदेय जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो तथा समिति के द्वारा स्वीकृत हो उन्हें भुगतान किया जा सकेगा।

(IV) **ग्राम कोष एवं निधि का संचालन** :- ग्राम कोष का संचालन ''झारखण्ड ग्राम सभा (गठन, बैठक की प्रक्रिया एवं कामकाज संचालन) नियमावली, 2003'' के नियम-14 के प्रावधान के तहत किया जाएगा।

9. **धारा**-62 **ग्राम सभा** मार्केट यार्ड, कृषि उपज के प्रोसेसिंग, भण्डारण, कोल्ड स्टोरेज आदि का निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण एवं भवन/योजनाओं के निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराने हेतु सरकार से अनुरोध कर सकेगा। जिसपर राज्य सरकार विधिसम्मत कार्रवाई करेगा।

परन्तु, योजना तैयार करने में ग्राम सभा के दो तिहाई सदस्यों की सहमति प्राप्त कर हीं योजना तैयार एवं उसको कार्य रूप दिया जा सकेगा।

10. **धारा**-63 (I) किसी और स्थिति के होते हुए भी जो इस अधिनियम से असंगत न हो राज्य सरकार उस क्षेत्र में कृषि उपज को खरीद, बिक्री, भण्डारण, प्रोसेसिंग करने के लिए समय-समय पर अधिसूचना/दिशा-निर्देश निर्गत कर सकेगी।

(II) **उप धारा**-1 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना के संबंध में यदि कोई आपति अथवा सूझाव जो राज्य सरकार को प्राप्त होती हो तथा उसका समाधान आवश्यक हो तो राज्य सरकार दो माह के अंदर उस पर उपयुक्त आदेश/अधिसूचना निर्गत कर सकती है।

11. **धारा-64** यदि ग्राम सभा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पड़ने वाले हाट/बाजार को चलाने में असमर्थ हो अथवा ग्राम सभा में इस आशय का निर्णय हो कि किसी ग्राम सभा के द्वारा हाट/बाजार नहीं चलाया जा सकता तो इसकी लिखित सूचना संबंधित बाजार समिति/कृषि विपणन पर्षद/अनुमंडलाधिकारी को कारण सहित देगा तब उक्त हाट/बाजार का व्यवस्था कृषि उपज बाजार अधिनियम के प्रावधान के तहत संबंधित बाजार समिति उसको अधिग्रहित कर उसका संचालन करेगा परन्तु ऐसे निर्णय में ग्राम सभा के दो तिहाई सदस्यों की सहमति प्राप्त कर ही ऐसा किया जा सकेगा ।

किसी प्रकार का विवाद होने पर इसका निपटारा ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा और यदि वैसा विवाद जिसका निपटारा ग्राम सभा में नहीं हो सकता है तो वैसे मामलों को संबंधित अनुमंडलाधिकारी के समक्ष लाया जाएगा जिसका निपटारा उनके द्वारा अधिकतम दो माह के अन्दर सभी पक्षों का सुनकर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर किया जाएगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
बी0 बी0 मंगलमूर्ति,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची

।

अधिसूचना

08 अक्टूबर**,** 2014

संख्या-एल0 जी0-06/2014-52--लेज0**,** झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक-24/09/2014 को अनुमत झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार (संशोधन) अधिनियम**,** 2014 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है**,** जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

JHARKHAND STATE AGRICULTURAL PRODUCE MARKET
(AMENDMENT) **Act** 2014
(Jharkhand Act, 07, 2014)

To amend The Jharkhand State Agricultural Produce Act-2000 (as amended in 2007 & 2011) in accordance with Panchayat Provision (Extended to Scheduled Area) Act-1996.

B**e it enected by the legislature of the State of Jharkhand i**n the 65th year of Republic of India as follows :-

Section 1 : Brief name, extension and beginning :

1. Short Title, Extent & Commencement:-

(i) This Act Jharkhand State Agriculture Produce Market Act 2000 (as Amended in 2007 & 2011) will be known as Jharkhand State Agriculture Produce Market Act (Amended) 2014.

(ii) The provisions of section 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 and 64 of chapter-7 will be effective in the Scheduled Area of Jharkhand.

(iii) This will come into force with immediate effect.

2. The following Subsections will be inserted after sub section ZZ (N) of Section 2A :- The Jharkhand State Agriculture Produce Market Act 2000 (Adopted)

ZZ (O) : Scheduled Area : Scheduled area means, scheduled area declared within the state as per section 1 of article 244 of Indian Constitution.

ZZ (P): Gram Sabha – Gram Sabha means, Gram Sabha defined for scheduled area as per section 3 of chapter ii of Jharkhand Panchayati Raj Adhiniyam, 2001.

ZZ (Q): Gram Pradhan – Gram Pradhan means the post accepted by custom and tradition, which may be acceptable to villagers or nominated/appointed by the competent authority of the government.

ZZ (R): Boundary of Gram Sabha – Boundary of Gram Sabha means the area which includes villages and small section area (tola) demarcated by the Revenue & Land Reforms Department.

ZZ (S): Members of Gram Sabha – Members of Gram Sabha means all members residing in that village, whose names have been enlisted in the Voter List.

ZZ (T) : Gramin Haat/Bazaar – Gramin Haat/Bazaar means that place where agriculture produce is sold or purchased at local village level.

3. To make effective the provisions of section 4 (M) of PESA Act 1996 and to devolve the power of management/controlling of Haat/Bazaar to Gram Sabha of scheduled area, section 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 and 64 may be inserted after section 56 in chapter 7 in the following way :

CHAPTER – 7

The power of Gram Sabha for management/Controlling the village Haat/Bazaar in scheduled area :

4. Section 57 (I) : Haat/Bazaar located in Gram Sabha Area will be supervised/maintained by a committee. The members of said committee will be appointed by the Gram Sabha among the members of this particular area and this committee will decide the working system of this Haat/Bazaar.

(II) Gram Sabha will manage the Haat/Bazaar, drinking water facility/shed (roof)/lavatory, urinal and provide place for exchange of goods for buyers and sellers. Preference will be given to local persons for such work.

(III) Gram Sabha will collect the fixed fee from the articles sold and purchased, as per Jharkhand State Agriculture Produce Market Rule and at the rate decided by Agricultural Marketing Board.

(IV) If required, Gram Sabha will arrange the storage/cold storage/transportation for such concerned articles of agricultural produced in the said Haat/Bazaar as per provisions, subject to the availability of fund and land.

(V) Gram Sabha will implement the provisions of Weights & Measurement Act, at the time of purchase/sell of agricultural produce.

(VI) Gram Sabha is entitled to prohibit sell and purchase of adulterated goods, which may be harmful for public purpose/use.

(VII) Gram Sabha will have right to fix the standard of agricultural goods purchased and sold in the Haat/Bazaar within its jurisdiction and if required may demand Technical Officers from Agricultural Marketing Board.

(VIII) Gram Sabha is empowered to prohibit gambling or any other play, which is unsocial, temptation, addiction, sale of alcoholic materials, any type of vulgar activity, quarrel etc.

(IX) Gram Sabha is empowered to recommend the licensing, renewal of license for any Traders/Commission Agents/Brokers/Weighbridge/Owner of storage and for the persons & firms indulged in the processing and pressing work in the said Haat/Bazaar.

Concerned Market Committee (Bazaar Samiti), on receiving recommendation letter from Gram Sabha will renew and issue licenses as per rule.

(X) According to local and existing custom/system, there will be auction in Haat/Bazaar and bidder can take part and bid will be accepted.

(XI) Gram Sabha, under its jurisdiction will demarcate separate places for sell and purchase of different goods, keeping in view the facility of common sellers/purchasers.

(XII) Gram Sabha will fix minimum rate at which agricultural produce will be sold/purchased with the consent of Sellers and Purchasers for the Haat/Bazaar under its jurisdiction.

(XIII) Gram Sabha will keep vigilance upon the sell/purchase of the agricultural produce and other produce in the Haat/Bazaar under its jurisdiction. This will also be the responsibility of Gram Sabha to check the exploitation of villagers in the sell/purchase in Haat/Bazaar.

(XIV) This will be the responsibility of Gram Sabha to prohibit the illegal stocking, money lendering, making undue pressure to purchase or sell at low price. In taking legal action, if needed, the help of local police station can also be take.

5. Section 58 : Declaration of Market Yard : Gram Sabha may recommend the state government under the provisions of Section 5 (3) (a) III and IV of Jharkhand Agricultural Produce Market Act-2000 (As amended in 2007 & 2011).

6. Section 59 : Formation of Committee for Haat/Bazaar : The Gram Sabha under scheduled area may form a committee for the management of Haat/Bazaar, whose members will be recommended by Gram Sabha itself, but the written order will be issued by the sub divisional officer of the concerned area.

But the members of the committee must be the residents of the concerned area.

7. Section 60 : Structure of Market Committee: Under any Gram Sabha a Committee will be formed for management/establishment of Haat/Bazaar, which will consist maximum 9 members including Gram Pradhan (Chairman) and at least three female members. Gram Sabha may decide to give preferences to Self Help Group/Woman Group working as members of Gram Sabha.

But from one family there will not be more than one member in the Committee and all tolas within Gram Sabha will be represented properly within that Gram Sabha.

8. Section 61: Accounts:

(I) Account books will be maintained by Haat day wise by Gram Sabha for all Haat/Bazaars. Collected amount as fees from Haat/Bazaars will be entered in the Account Books. All the collected amount will be deposited in the Bank Account of Gram Sabha either on the same day of collection or on the first half of next working day of Bank.

(II) Gram Sabha will get the accounts of every Haat/Bazaars audited by any registered Chartered Accountant in every financial year and will produce the final yearly accounts of income-expenditure in the first metting of Gram Sabha of New Year.

(III) For collecting the fees in Haat/Bazaars, the agents and personnels will be appointed by the committee formed for the management of concerned Haat/Bazaars and for this work, minimum wages or honorarium paid, as sanctioned by the committee, will not be less than minimum wages declared by the government.

(IV) Gram Fund and its management:

Management of Gram Sabha will be as per the rule 14 of Jharkhand Gram Sabha (formation, process of metting and management of working) Rules, 2003.

9. Section 62:

Gram Sabha will request the government for the availability of fund for acquisition of land for market yard/processing of agricultural produce/storage/cold storage etc. and construction of building/schemes. State Government will do the needful as per rules on this demand.

But the scheme will be finalised by the consent of minimum two third members of the Gram Sabha and then it will be implemented.

10. Section 63:

(I) Notwithstanding, the state government will issue notifications/directions time-to-time for the purchase, sale, storage and processing of agricultural produce in the area.

(II) If any objection or advice related to the published notification under sub section 1 is received to the state government and if its solution is essential then the State Government may issue proper orders/notifications within two months.

11. Section 64:

In case, Gram Sabha fails to run the Haat/Bazaars under its jurisdiction or this is decided by the Gram Sabha that it can not manage the concerned Haat/Bazaars then written information of this decision will be given to concerned market Committee/Agricultural Marketing Board/Sub-Divisional Officer, along with the reason and then such Haat/Bazaars will be managed by concerned Market Committee after acquisition as per provision of agriculture produce market act., but for this consent of at least two third members of the Gram Sabha is mandatory.

In any kind of dispute, it will be sorted out by the Gram Sabha. If such dispute is not sorted out by Gram Sabha, then such case will be transferred to Sub-Divisional Officer, who will sort out the dispute as per law within two months after hearing all the concerned parties.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

बी0 बी0 मंगलमूर्ति,

सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 738—50 ।